

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र मूढों की ढाणी

प्रार्थीगण
1. राजूराम पुत्र मगाराम जाति भाट
निवासी महादेव नगर, मूढों की ढाणी
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम


विप्रार्थीगण

1. बांकाराम पुत्र सुखराम 2.
जोगाराम पुत्र सुखराम 3. रमेश
कुमार पुत्र सुखराम 4 रम्भादेवी
पत्नि सुखराम जाति जाट निवासी
महादेव नगर मूढों की ढाणी 5.
ताजाराम पुत्र लाधूराम 6 खेताराम
पुत्र लाधूराम 7 भूराराम पुत्र लाधूराम
8. दरियादेवी पत्नि लाधूराम
जातियान भाट निवासीयान महादेव
नगर, मूढों की ढाणी तहसील एवं
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-128/2021 दिनांक-16.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 363/276 रकबा 08.13 बीघा, खसरा नम्बर 365/276 रकबा 16.02 बीघा, कुल रकबा 24.15 बीघा चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 17/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/451-454

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी राजूराम पुत्र मगाराम जाति भाट निवासी महादेव नगर, मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण बांकाराम पुत्र सुखराम वगैराह जाति जाट/भाट निवासी महादेव नगर, मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

17/12/2021
S. S. S. S.